

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/वी-1/18/ दिनांक


आदेश

निम्नांकित नर्स-2 की राज्य सेवा मे रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अकिंत तिथि से राज्य सेवा से उनका नाम विलोपित किया जाता है।

क्र०स०	नाम कर्मचारी मय पद	पदस्थापन स्थान	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	मृत्यु दिनांक	नाम विलोपित तिथि
1.	श्री रामावतार शर्मा	राजकीय चिकित्सालय अलवर	10.03.77	28.04.99	08.12.17	08.12.17

मृत्यु दिनांक तक इनके विरुद्ध -

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लंबित नहीं है।


(राकेश शर्मा)


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्स-2/(विलो0)/वी-1/18/58

दिनांक: 12/01/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी अलवर को उनके पत्रांक 6067 दिनांक 22.12.17के क्रम में।
4. सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. डीपीसी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. आदेश पत्रावली।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर।